उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या – 152 / 2008

राज्य बनाम् टैंकर स्वामी (BR-1G-9413, BPV-8569, WB-19-4231)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

21-02-2018

–:: आदेश ::–

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के ज्ञापांक 1092, दिनांक 12.10.2008 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में प्रेतिवेदित किया गया है कि दिनांक 16.08.2008 को कुजू ओ0पी0 क्षेत्र अंतर्गत साण्डी स्थित संकट मोचन मंदिर के पुरब तुलेश्वर साव के बाउण्ड्री से टैंकर नं0– BR-1G-9413 में 9880 लीटर किरासन तेल, टैंकर नं0– BPV-8569 में 6125 लीटर डीजल एवं टैंकर नं0 WB-19-4231 में 5995 लीटर डीजल अवैध तेल के साथ अन्य सामान बरामद किया गया के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 अंतर्गत स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया, जिसका माण्डू (कु0)–थाना काण्ड संख्या 310 / 2008 है के संबंध में राज्यसात कार्रवाई हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। प्राप्त प्रस्ताव में अभ्युक्त का नाम–पता अस्पष्ट रहने के कारण पुलिस अधीक्षक से मांग की गई, जो अप्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के ज्ञापांक 2731 / अप0शा0, दिनांक 13.07.2011 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त तीनों टैंकरों को न्यायालय के आदेश से संबंधित टैंकर स्वामी को सुपुर्द किया जा चुका है। उक्त परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ से न्यायालय संबंधित आदेश की प्रति की मांग की गई, जो अबतक अप्राप्त है। फलतः अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आदेश पारित किया जा रहा है।

अभिलेख में संलग्न कागजात एवं प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा उक्ट तीनों टैंकरों को टैंकर स्वामी को सुपुर्द करने हेतु किसी प्रकार का आदेश निर्गत नहीं है। अतः पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के ज्ञापांक 1092, दिनांक 12.10.2008 द्वारा प्राप्त अनुशंसा प्रस्ताव के आलोक में दिनांक 16.08.2008 को कुजू ओ0पी0 क्षेत्र अंतर्गत साण्डी स्थित संकट मोचन मंदिर के पुरब तुलेश्वर साव के बाउण्ड्री से **टैंकर नं0– BR-1G-9413 में 9880 लीटर किरासन तेल, टैंकर नं0– BPV-8569 में 6125 लीटर डीजल एवं टैंकर नं0 WB-19-4231 में 5995 लीटर डीजल अवैध तेल के साथ अन्य सामान बरामद किया गया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धारा अन्तर्गत राज्यसात किया जाता है।** आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को भेजे। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

194 / विविध
22/3/18

लेखापित एवं संशोधित

21/2/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

21/2/18

उपायुक्त,
रामगढ़।